# अनुदान संख्या 73 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
# GRANT No. 73- MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

| | | | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत -<br>Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में)<br>(In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted- | | | | | |
| मूल | Original | 23716,20,00 | | 68554,31,00 | 68513,99,92 | -40,31,08 |
| पूरक | Supplementary | 44838,11,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 40,21,79 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | | |
| पूरक | Supplementary | | | 1585,75,00 | 1585,74,07 | - 93 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 93 |

*टीका और टिप्पणियां*

*Notes and comments*

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2802" | Major Head "2802" | | | | |
| पेट्रोलियम | Petroleum | | | | |
| मू. | O. | 2369560.00 | 6849307.99 | 6849307.99 | .. |
| पू. | S. | 4483811.00 | | | |
| पु. | R. | -4063.01 | | | |

(I) ₹4000.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3900.00 लाख अकेले "सामान्य - अन्य व्यय - राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान" के अंतर्गत पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और जैस राय बरेली में कार्य की प्रगति धीमी गति से होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4000.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹3900.00 lakhs alone accounted for under "General - Other Expenditure - Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology" - due to availability of unspent balance of previous year, non-receipt of utilization certificate and slow progress of work at Jais Rai Bareilly.

(II) ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता'' -

(क) ''घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन पर आर्थिक सहायता'' - ₹5038.95 लाख की बचत (₹305000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा संबंधी आर्थिक सहायता'' - ₹261.06 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केरोसीन और एलपीजी की बिक्री की बढ़ोतरी में गिरावट आने के कारण हुईं।

(ग) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता'' - ₹10600.00 लाख की बचत ( ₹56400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की वृद्धि धीमी गति से होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड'' - ₹640.00 लाख की बचत ( ₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और बोर्ड के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से ( ₹16490.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹4483811.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) ''तेल कंपनियों के दावों का समाशोधन करने के लिए प्रशासनिक मूल्यन के अंतर्गत तेल कंपनियों को अदायगी - भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (इंडिया)'' - ₹301.00 लाख।

(II) ''घरेलू एलपीजी और केरोसीन (पीडीएस) प्रचालनों पर तेल कंपनियों द्वारा हुई कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कंपनियों को प्रतिपूर्ति के रूप में अदायगी - तेल विपणन कंपनियों को भारत सरकार के विशेष बांड'' - ₹16189.00 लाख।

(II) Under "General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(a) "Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" - saving of ₹5038.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹305000.00 lakhs); and

(b) "Freight subsidy on retail products for far flung areas" - saving of ₹261.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to decline in growth of sale of kerosene and LPG.

(c) "Subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region" – saving of ₹10600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56400.00 lakhs) was due to slow growth of Natural Gas in North Eastern Region.

(B) "Other Expenditure - Petroleum Regulatory Board" - saving of ₹640.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and availability of unspent balance with the Board.

2. The above savings were partly (₹16490.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4483811.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under "General" – under the following heads:-

(I) "Payment to Oil Companies in settlement of their claims under Administrative Pricing - GAIL (India) Ltd." - ₹301.00 lakhs.

(II) "Payment to Oil marketing companies as compensation for under recoveries in their domestic LPG and Kerosene (PDS) operations - Govt. of India Special Bonds to Oil Marketing Companies" - ₹16189.00 lakhs.